सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 156/18 **निर्णय दिनांकः 05.06.2018**

1. बाबुलाल पुत्र छोगा जाति ढाढी निवासी रूणिया बास तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 15—01—1994
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 15—01—1994 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में वन विभाग, अनिवार्य वन पट्टी का रकबा आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने भूमिहीन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तमाम जॉच के उपरान्त अपीलांट को सक्षम अधिकारी द्वारा भूमिहीन के तौर पर पात्र मानते हुए चक 2

जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 174/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई तथा वादगत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। जबकि अपीलांट् को आवंटित भूमि पूर्व में कुछ भू—भाग नहर व अनिवार्य वन पट्टी में होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 के विरूद्व अपील दिनांक 03—04—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित

भूमि पूर्व में ही अनिवार्य नहर पट्टी, वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 03—04—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 174/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई तथा वादगत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।

(2) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को आवंटित रकबे का कुछ भू—भाग नहर व अनिवार्य वन—पट्टी हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादगत् भूमि के बाबत् जमाबन्दी संवत् 2073—2076 प्रस्तुत की गई है।

(3) हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों का अवलोकन किया। उक्त जमाबन्दियों का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अपीलांट द्वारा एक जमाबन्दी चक 3 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा

नम्बर 174/16 की प्रस्तुत की गई व एक अन्य जमाबन्दी चक 2 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 174/16 की प्रस्तुत की गई है। जो अपने आप में विरोधाभासी है। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस बाबत् तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कि चक 2 जेडब्ल्यूएम के हाल चक नम्बर 3 जेडब्ल्यूएम स्थापित हुए है।

(4) ऐसी स्थिति में हम उचित पाते है कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से इस आश्य की रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि अपीलांट को आवंटित चक 2 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 174/16 के वर्तमान चक 3 जेडब्ल्यूएम स्थापित हुए है अथवा नहीं? संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि क्या चक 2 जेडब्ल्यूएम के वर्तमान चक 3 जेडब्ल्यूएम स्थापित हुए है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के बाबत् उपरोक्त विवेचन के आधार पर संबंधित तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर विधिवत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर